झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉंची – 834001.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2016–17 से वर्ष 2017–18 तक का True-up, वर्ष 2018-19 का APR एवं वर्ष 2019-20 का ARR देते हुए वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत वितरण दर निर्धारण करने हेतु आयोग में आवेदन दिया है । आवेदन की एक प्रति झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.jbvnl.co.in) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 3, 4, 5 एवं 9 जनवरी 2019 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 24/01/2019 तक आपत्ति/सुझाव/मंतव्य मांगा था । इस आवेदन की एक प्रति, इसकी त्रुटियॉं एवं वितरण कम्पनी का जवाब झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org/jbvnl.aspx) पर भी उपलब्ध है । झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव/मंतव्य का उत्तर संबंधित व्यक्ति/संस्था को भेज दिया गया है ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण दर निर्धारण करने के पूर्व उल्लेखित आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉंची के द्वारा पारदर्शिता एवं आपत्ति/सुझाव/मंतव्य देने के एक और मौका देने के उद्येश्य से जन–सुनवाई निम्नलिखित तिथियों को उनके सामने दर्शाये समय एवं स्थान पर होना सुनिश्चित किया गया है :–

जन–सुनवाई की तिथि एवं समय	जन–सुनवाई का स्थान	जन–सुनवाई का स्थल
06.02.2019 (बुधवार) 11.30 बजे पूर्वाह्न से	**मेदनीनगर**	टॉउन हॉल, शिवाजी मैदान के नजदीक, गिरवर हाई स्कूल के सामने, मेदनीनगर
08.02.2019 (शुक्रवार) 01.30 बजे अपराह्न से	**हजारीबाग**	नगर भवन, हजारीबाग
09.02.2019 (शनिवार) 11..30 बजे पूर्वाह्न से	**दुमका**	टाउन हॉल, इन्डोर स्टेडियम, बाईपास रोड, दुमका
12.02.2019 (मंगलवार) 11.30 बजे पूर्वाह्न से	**रॉंची**	इण्डीयन मेडिकल एसोसीएशन (IMA) के सभागार, करमटोली चौक के नजदीक, रॉंची ।
13.02.2019 (बुधवार) 2.30 बजे अपराह्न से	**चाईबासा**	मांगीलाल रूंगटा +2 स्कूल, (चाईबासा जेल के सामने) चाईबासा

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर लिखित/मौखिक/PowerPoint presentation के माध्यम से सुझाव, आपत्ति एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार

(एo केo मेहता)
सचिव